


अध्याय-2

वित्तीय प्रबन्धन और बजटीय नियंत्रण

2.1 प्रस्तावना

2.1.1 विनियोग लेखे, विनियोग अधिनियम की संलग्न अनुसूचियों में यथा विनिर्दिष्ट विभिन्न उद्देश्यों हेतु दत्तमत अनुदान एवं भारत विनियोग की राशि की तुलना में प्रत्येक वित्तीय वर्ष हेतु सरकार के व्यय, दत्तमत एवं भारत व्यय के लेखे होते हैं। विनियोग अधिनियम के अंतर्गत प्राधिकृत बजट के दोनों मदों दत्तमत एवं भारत के सापेक्ष ये लेखे मूल बजट प्राक्कलन, पूरक अनुदान, अभ्यर्षण एवं पुनर्विनियोग को स्पष्टतया सूचीबद्ध करते हैं एवं विभिन्न विनिर्दिष्ट सेवाओं पर वास्तविक पूँजीगत एवं राजस्व व्यय को दर्शाते हैं। इस प्रकार, विनियोग लेखे, वित्तीय प्रबन्धन एवं बजटीय प्रावधान को सुगम बनाते हैं और इसलिए वित्तीय लेखों के अनुपूरक होते हैं।

चार्ट-2.1: बजट कार्यान्वयन का फ्लो चार्ट



2.1.2 भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक द्वारा विनियोगों की लेखापरीक्षा यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि क्या विनियोग अधिनियम के अन्तर्गत दिये गये प्राधिकार में निहित विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत व्यय किया गया है और जो व्यय, संविधान के प्रावधानों के अन्तर्गत भारत होना चाहिए, वही भारत किया गया है। यह, ये भी सुनिश्चित करता है कि क्या किया गया व्यय विधि, सुसंगत नियमों, विनियमों एवं अनुदेशों के अनुरूप था।

2.2 विनियोग लेखों का सारांश

वर्ष 2018-19 के दौरान 31 अनुदानों/विनियोगों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति तालिका-2.1 एवं चार्ट-2.2 में दी गयी है।


तालिका-2.1: वर्ष 2018-19 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

	व्यय की प्रकृति	मूल अनुदान/ विनियोग	अनुपूरक अनुदान/ विनियोग	योग	वास्तविक व्यय	बचत (-)/ आधिक्य (+)	समर्पित धनराशि	31 मार्च को समर्पित धनराशि	कुल समर्पित धनराशि का 31 मार्च को समर्पित धनराशि से प्रतिशतता
दत्तमत	I राजस्व	30,542.41	1,504.24	32,046.65	27,648.18	(-) 4,398.47	689.91	689.91	100
	II पूँजीगत	6,582.80	745.24	7,328.04	6,785.90	(-) 542.14	351.06	351.06	100
	III ऋण एवं अग्रिम	191.98	0.92	192.90	183.48	(-) 9.42	00	00	00
योग-दत्तमत		37,317.19	2,250.40	39,567.59	34,617.56	(-) 4,950.03	1,040.97	1,040.97	100
भारित	IV राजस्व	5,084.90	202.00	5,286.90	4,547.99	(-)738.91	3.58	3.58	100
	V पूँजीगत	1.00	00	1.00	0.15	(-) 0.85	00	00	00
	VI लोक ऋण-पुनर्भुगतान	3,182.00	00	3,182.00	10,230.14	(+) 7,048.14	00	00	00
योग-भारित		8,267.90	202.00	8,469.90	14,778.28	6,308.38	3.58	3.58	100
कुल योग		45,585.09	2,452.40	48,037.49	49,395.84	1,358.35	1,044.55	1,044.55	100

स्रोत: विनियोग लेखों।

चार्ट-2.2: प्रावधानों के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति




जैसा कि तालिका-2.1 में प्रदर्शित है, ₹1,358.35 करोड़ का कुल आधिक्य व्यय हुआ था जो कि पूँजीगत दत्तमत के अन्तर्गत दो अनुदानों और पूँजीगत भारित के अन्तर्गत एक विनियोग में ₹8,464.98 करोड़ के आधिक्य और 31 अनुदानों और आठ विनियोगों में ₹7,106.62 करोड़ की बचत का परिणाम था।

2.2.1 पूँजीगत और राजस्व

पूँजीगत एवं राजस्व, दोनों ही खातों में बचत पायी गई थी (चार्ट-2.3)।

चार्ट-2.3: पूँजीगत और राजस्व वर्गों के अन्तर्गत बजट प्रावधान और व्यय

(₹ करोड़ में)



स्रोत: विनियोग लेखे।

वर्ष 2018-19 के दौरान, जिन विभागों एवं अनुभागों में आवंटन के सापेक्ष महत्वपूर्ण व्ययाधिक्य पाया गया, उनका विवरण तालिका-2.2 में दिया गया है।

तालिका-2.2: 2018-19 के दौरान पाये गये महत्वपूर्ण आधिक्य

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	आधिक्य व्यय
1.	7	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	पूँजीगत (भारित)	7,048.14
2.	25	खाद्य	पूँजीगत (दत्तमत)	1,414.04
योग				8,462.18

जैसा कि उपरोक्त तालिका से स्पष्ट है कि केवल एक अनुदान और एक विनियोग में ही 99.97 प्रतिशत का आधिक्य व्यय हुआ।

इसी प्रकार, वर्ष 2018-19 के दौरान आवंटन के सापेक्ष जिन विभागों में महत्वपूर्ण बचत पायी गई, वह जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास (₹ 660.85 करोड़), राजस्व और सामान्य प्रशासन (₹ 645.11 करोड़), वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय और विविध (₹ 1,557.33 करोड़), शिक्षा, खेल, युवा कल्याण और संस्कृति (₹ 697.55 करोड़), चिकित्सा, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण (₹ 538.85 करोड़), कल्याण (₹ 410.02 करोड़), कृषि कार्य एवं अनुसंधान (₹ 176.28 करोड़), ग्रामीण विकास (₹ 205.91 करोड़), लोक निर्माण (₹ 231.81 करोड़), परिवहन (₹ 199.36 करोड़), अनुसूचित जाति का कल्याण (₹ 417.35 करोड़), वन (₹ 177.80 करोड़) और अनुसूचित जनजाति का कल्याण (₹ 176.17 करोड़) थे।

बचत/आधिक्य (विस्तृत विनियोग लेखे) के सम्बन्ध में स्पष्टीकरण हेतु नियंत्रण अधिकारियों को सूचित (जुलाई 2019) किया गया था। उनके उत्तर अभी तक प्राप्त नहीं हुए (दिसम्बर 2019) थे।।

2.3 वित्तीय जवाबदेही एवं बजट प्रबन्धन

2.3.1 व्ययाधिक्य

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल (उ ब मै) के चैप्टर XIII के प्रस्तर 121 के अनुसार, अनाधिकृत अधिक व्यय करना आपत्तिजनक है तथा उससे बचना चाहिए। तीन प्रकरणों में, ₹ 13,173.14 करोड़ का समग्र व्यय अनुमोदित प्रावधान से ₹ 8,464.98 करोड़ अधिक था। इसका ब्यौरा **परिशिष्ट-2.1** में दिया गया है। इनमें से अनुदान संख्या 25-खाद्य में विगत पाँच वर्षों के दौरान निरन्तर व्ययाधिक्य देखा गया है जैसा कि **तालिका-2.3** में विस्तारित है।

तालिका-2.3: वर्ष 2014-15 से 2018-19 के दौरान निरन्तर व्ययाधिक्य प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची
(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	व्ययाधिक्य की राशि				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
पूँजीगत-दत्तमत						
1.	25-खाद्य	1,738.25	2,203.83	2,245.80	1,322.39	1,414.04

स्रोत: विनियोग लेखे।

निरन्तर व्ययाधिक्य यह दर्शाता है कि विभाग में बजट नियंत्रण अप्रभावी था और बजट अनुमान वास्तविक आधार पर तैयार नहीं किए गए थे। राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित अनुदानों के सापेक्ष निरन्तर व्ययाधिक्य विधानमण्डल की इच्छा और लोकतंत्र के इस मूल सिद्धांत का उल्लंघन है कि विधायिका की स्वीकृति के बिना एक रुपया भी खर्च नहीं किया जा सकता है, और, इसलिए इसे गंभीरता से देखने की आवश्यकता है। अधिक व्यय के सभी मौजूदा मामलों को जल्द से जल्द नियमित करने की आवश्यकता है और भविष्य में, गंभीर एवं अत्यधिक आपात स्थिति के मामलों को छोड़कर, इस तरह के अप्रदत्त व्यय को पूरी तरह से रोका जा सकता है, जिनकी लागत आकस्मिकता निधि से पूरी नहीं की जा सकती है।

2.3.2 विगत वर्षों से सम्बन्धित विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधान से अधिक व्यय

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल के अध्याय XIII का प्रस्तर 121 दर्शाता है कि यदि वर्ष की समाप्ति के बाद विनियोग लेखे के माध्यम से यह ज्ञात होता है कि उसी वर्ष के किसी अनुदान अथवा भारत विनियोग में कुल अन्तिम विनियोग से अधिक व्यय किया गया है तो आधिक्य व्यय को, सविधान के अनुच्छेद 205 (1) (ब) के अनुसार माँगों को विधायिका में प्रस्तुत कर लोक लेखा समिति की सिफारिशों के आधार पर नियमित किया जाना चाहिए। तथापि, वर्ष 2005-06 से 2017-18 से संबन्धित 51 अनुदानों एवं 23 विनियोगों के अंतर्गत आधिक्य संवितरण की धनराशि ₹ 27,194.16 करोड़ को राज्य विधायिका से नियमित किया जाना शेष था। वर्षवार अधिक व्यय की धनराशि जो नियमतीकरण हेतु लम्बित थी, **तालिका-2.4** में सारांशित की गई है।

तालिका-2.4: विनियमन की आवश्यकता वाले विगत वर्षों से सम्बन्धित प्रावधानों से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

वर्ष	अनुदान/विनियोग की संख्या	अनुदान/विनियोगों के ब्यौरे	प्रावधान से अधिक व्यय की राशि
2005-06	7	7, 8, 17, 20, 22, 25 एवं 29	663.50
2006-07	6	7, 17, 20, 22, 25 एवं 29	935.92
2007-08	6	7, 17, 20, 22, 25 एवं 29	733.79
2008-09	6	7, 17, 20, 22, 25 एवं 29	1,146.41
2009-10	7	7, 17, 18, 21, 22, 25 एवं 29	1,007.49
2010-11	9	10, 12, 15, 17, 20, 21, 22, 25 एवं 29	1,295.40
2011-12	5	7, 17, 22, 25 एवं 29	1,611.40
2012-13	7	12, 14, 17, 21, 22, 25 एवं 29	1,835.34
2013-14	3	22, 25 एवं 29	1,837.15
2014-15	4	17, 22, 25 एवं 29	1,922.80
2015-16	4	17, 22, 25 एवं 29	2,334.24
2016-17	4	07, 17, 25 एवं 29	5,457.33
2017-18	6	07, 17, 20, 22, 25 एवं 27	6,413.38
योग			27,194.15

स्रोत:- विनियोग लेखें।

यह संविधान के अनुच्छेद 204 और 205 का उल्लंघन है जो यह प्रावधान करता है कि राज्य विधानमंडल द्वारा कानून द्वारा किए गए विनियोग के अलावा समेकित निधि से कोई धनराशि आहरित नहीं की जाएगी। यह बजटीय और वित्तीय नियंत्रण की प्रणाली को प्रभावित करता है और सार्वजनिक संसाधनों के प्रबंधन में वित्तीय अनुशासनहीनता को प्रोत्साहित करता है।

2.3.3 वर्ष 2018-19 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

तालिका-2.5 में वर्ष 2018-19 के दौरान दो अनुदानों तथा एक विनियोग के अंतर्गत राज्य की संचित निधि (रा सं नि) से प्राधिकृत से कुल आधिक्य व्यय ₹ 8,464.98 करोड़ का सार सम्मिलित है।

तालिका-2.5: 2018-19 के दौरान विनियमन की आवश्यकता वाले प्रावधानों से अधिक व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/ विनियोग	कुल व्यय	आधिक्य व्यय
पूँजीगत-भारित					
1.	7	वित्त, कर, योजना, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	3,182.00	10,230.14	7,048.14
पूँजीगत-दत्तमत					
2.	19	ग्रामीण विकास	1,507.16	1,509.96	2.80
3.	25	खाद्य	19.00	1,433.04	1,414.04
योग			4,708.16	13,173.14	8,464.98

स्रोत: विनियोग लेखें।

राज्य सरकार/विभाग द्वारा व्ययाधिक्य के कारणों को अक्टूबर 2019 तक सूचित नहीं किया गया था।

2.3.4 अपर्याप्त अनुपूरक प्रावधान

₹ 125.01 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान दो प्रकरणों में अपर्याप्त सिद्ध हुआ, यह कमी प्रत्येक प्रकरण में एक करोड़ या ₹ एक करोड़ से अधिक थी जिससे ₹ 1,416.84 करोड़ का व्ययाधिक्य अनाच्छादित पड़ा रहा (परिशिष्ट-2.2)।

2.3.5 व्यय की तीव्रता

उत्तराखण्ड बजट मैनुअल (उ ब मै) के चैप्टर XVII का प्रस्तर 183 के अनुसार वित्तीय वर्ष के अन्तिम माह में व्यय की तीव्रता से बचना चाहिए। उत्तम वित्तीय प्रबन्धन के लिए व्यय की एक समान गति को बनाए रखना चाहिए। इसके विपरीत, **परिशिष्ट-2.3** में सूचीबद्ध 39 मुख्य शीर्षों में वर्ष 2018-19 के कुल व्यय का 25 प्रतिशत से अधिक व्यय मार्च 2019 में किया गया था।


वर्ष 2018-19 के दौरान 39 मुख्य शीर्षों के सापेक्ष कुल व्यय किए गए ₹ 10,742.97 करोड़ का 47.31 प्रतिशत (₹ 5,082.28 करोड़) वित्तीय वर्ष की अन्तिम तिमाही में व्यय किया गया।

2.3.6 अधिक प्रावधानों के परिणामस्वरूप बचत

2.3.6.1 अनावश्यक/अत्यधिक अनुपूरक प्रावधान

वर्ष के दौरान 42 प्रकरणों में, जिसमें प्रत्येक प्रकरण ₹ 10 लाख या उससे अधिक का था, कुल ₹ 1,681.38 करोड़ प्राप्त किया गया अनुपूरक अनुदान अनावश्यक सिद्ध हुआ क्योंकि अनुदान के अन्तर्गत किया गया व्यय मूल प्रावधान की सीमा के अंदर ही था जैसा कि **परिशिष्ट-2.4** में वर्णित किया गया है।

चार्ट-2.4: अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान



स्रोत: विनियोग लेखे।

2.3.6.2 निधियों का अधिक/अनावश्यक पुनर्विनियोजन

पुनर्विनियोजन, एक ही अनुदान के अन्तर्गत विनियोग की एक इकाई जहाँ बचत पूर्वानुमानित हो, से दूसरी इकाई जहाँ अतिरिक्त निधि की आवश्यकता हो, को निधियों का स्थानान्तरण है। पुनर्विनियोजन अधिक/अपर्याप्त सिद्ध हुआ और परिणामस्वरूप 22 अनुदानों के अन्तर्गत 124 प्रकरणों में ₹ 10 लाख और उससे अधिक के व्यय में बचत/आधिक्य हुआ जैसा कि **परिशिष्ट-2.5** में वर्णित है।

बचत के कारण सरकार द्वारा दिसम्बर 2019 तक उपलब्ध नहीं कराये गये थे।

2.3.6.3 पर्याप्त अभ्यर्पण

16 अनुदानों में, 104 उप-शीर्षों के सापेक्ष महत्वपूर्ण अभ्यर्पण (वे प्रकरण जहाँ कुल प्रावधान का 30 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्पित किया गया) किए गए। इन 104 उप-शीर्षों में ₹ 615.09 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 426.12 करोड़ (69.28 प्रतिशत) का अभ्यर्पण किया गया जिसमें 51 योजनाओं में 100 प्रतिशत अभ्यर्पण (₹ 76.31 करोड़) दत्तमत्त अनुदान में सम्मिलित है जैसा कि **परिशिष्ट-2.6 (अ)** में विस्तारित है। ₹ 0.77 करोड़ के कुल प्रावधान में से ₹ 0.37 करोड़ (48.05 प्रतिशत) का अभ्यर्पण एक विनियोग के एक उपशीर्ष में किया गया है जैसा कि **परिशिष्ट-2.6 (ब)** में विस्तारित है।

2.3.6.4 वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पण

एक प्रकरण में, अभ्यर्पित की गयी राशि वास्तविक बचत से अधिक थी, जो विभाग में बजटीय नियन्त्रण की कमी को इंगित करता है। इस एक प्रकरण में ₹ 66.62 करोड़ की बचत के विरुद्ध अभ्यर्पित राशि ₹ 100.40 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप ₹ 33.78 करोड़ का अधिक अभ्यर्पण किया गया। विवरण **परिशिष्ट-2.7** में दिया गया है।

2.3.6.5 अनुमानित बचत जो अभ्यर्पित नहीं हुई/आंशिक अभ्यर्पित हुई

उ ब मै के चैप्टर XIII के खण्ड I के प्रस्तर 124 के अनुसार प्रत्येक नियन्त्रण अधिकारी को बी एम 2 (भाग-II) के प्रारूप में आधिक्य तथा बचत का अन्तिम विवरण तैयार करना चाहिए जो कि, सम्बन्धित प्रशासनिक विभाग के माध्यम से 25 जनवरी तक वित्त विभाग तक पहुँच जाना चाहिए। तथापि, वर्ष 2018-19 के अंत में, 13 अनुदान ऐसे थे जिनमें ₹ पाँच करोड़ या अधिक की बचत हुई फिर भी सम्बन्धित विभागों द्वारा उनके किसी भी भाग को अभ्यर्पित नहीं किया गया। इन प्रकरणों में सम्मिलित राशि ₹ 2,964.13 करोड़ (कुल बचत¹ का 41.71 प्रतिशत) थी, जैसा कि **परिशिष्ट-2.8** में दिया गया है।

इसी प्रकार, ₹ 7,012.28 करोड़ की बचत (वे प्रकरण जिसमें बचत ₹ एक करोड़ से अधिक हुई), में से केवल ₹ 918.59 करोड़ धनराशि ही अभ्यर्पित की गई थी और परिणामस्वरूप ₹ 6,093.69 करोड़ (₹ 7,106.62 करोड़ की बचत का 85.75 प्रतिशत) की धनराशि का अभ्यर्पण नहीं हुआ, जिसका विवरण **परिशिष्ट-2.9** में दिया गया है। इसके अतिरिक्त, 14 प्रकरणों में, ₹ 10 करोड़ से अधिक निधियाँ कुल ₹ 957.51 करोड़ मार्च 2019 के अंतिम दिवस को अभ्यर्पित (**परिशिष्ट-2.10**) की गयी, जो अभ्यर्पण के अभिप्रेत प्रयोजन की विफलता का परिचायक है क्योंकि यह धनराशि अन्य उद्देश्यों के उपयोग में नहीं लायी जा सकी।

2.3.6.6 विनियोग के सापेक्ष व्यय

विनियोग लेखापरीक्षा के परिणाम से अवगत हुआ कि 58 प्रकरणों में से प्रत्येक प्रकरण में बचत, ₹ एक करोड़ या कुल प्रावधान के 20 प्रतिशत से अधिक थी (**परिशिष्ट-2.11**)। कुल बचत

¹ ₹ 7,106.62 करोड़ की कुल बचत का।

₹ 7,106.62 करोड़ के सापेक्ष 19 अनुदानों एवं एक विनियोग से सम्बन्धित 29 प्रकरणों में ₹ 6,616.40 करोड़, (93.10 प्रतिशत)² की बचत हुई जैसा कि तालिका-2.6 में प्रदर्शित है।

तालिका-2.6: ₹ 50 करोड़ एवं उससे अधिक की बचत वाले अनुदानों एवं विनियोगों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान संख्या	अनुदान/विनियोग का नाम	कुल अनुदान/विनियोग	बचत	प्रतिशतता
राजस्व - दत्तमत					
1.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1,234.40	372.54	30.18
2.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय, एवं विविध सेवाएँ	8,440.00	697.69	8.27
3.	10	पुलिस एवं जेल	1,938.78	105.30	5.43
4.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	7,609.74	542.42	7.13
5.	12	चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	2,222.90	496.45	22.33
6.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	705.07	143.54	20.36
7.	15	कल्याण	1,709.43	367.60	21.50
8.	16	श्रम एवं रोजगार	368.18	146.57	39.81
9.	17	कृषि कर्म एवं अनुसंधान	1,137.97	169.84	14.93
10.	19	ग्रामीण विकास	1,004.01	205.91	20.51
11.	20	सिंचाई एवं बाढ़	500.18	72.21	14.44
12.	22	लोक निर्माण	875.36	159.06	18.17
13.	23	उद्योग	250.87	53.04	21.14
14.	25	खाद्य	257.69	86.46	33.55
15.	27	वन	742.17	128.63	17.33
16.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	1,200.62	321.08	26.74
17.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	363.88	122.09	33.55
योग			30,561.25	4,190.43	13.71
राजस्व-भारित					
1.	07	वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	5,174.62	699.30	13.51
योग			5,174.62	699.30	13.51
पूँजीगत-दत्तमत					
1.	06	राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	442.75	272.51	61.55
2.	07	वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	328.13	160.34	48.86
3.	11	शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	297.93	155.14	52.07
4.	13	जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	1115.17	517.31	46.39
5.	20	सिंचाई एवं बाढ़	468.20	102.27	21.84
6.	21	ऊर्जा	317.30	73.15	23.05
7.	22	लोक निर्माण	1391.50	66.62	4.79
8.	24	ट्रांसपोर्ट	187.81	173.86	92.57
9.	26	पर्यटन	112.59	55.11	48.95
10.	30	अनुसूचित जातियों का कल्याण	331.33	96.28	29.06
11.	31	अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	151.18	54.08	33.77
योग			5,143.89	1,726.67	33.57
महायोग			40,879.76	6,616.40	16.19

स्रोत : विनियोग लेखे।

² प्रत्येक प्रकरण में ₹ 50 करोड़ से अधिक।

बचत के कारण जो कि अपेक्षित थे, अभी तक प्राप्त नहीं हुए थे (दिसम्बर 2019)।

2.3.6.7 निरन्तर बचत

पिछले पाँच वर्षों के दौरान, 45 प्रकरणों में ₹ एक करोड़ से अधिक की निरन्तर बचत हुई जैसा कि तालिका-2.7 में वर्णित है।

तालिका-2.7: पिछले पाँच वर्षों (2014-15 से 2018-19) के दौरान निरन्तर बचत को प्रदर्शित करने वाले अनुदानों की सूची

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत धनराशि				
		2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
राजस्व-दत्तमत						
1.	03-मंत्रि परिषद	1.16	41.00	17.55	11.99	12.25
2.	04-न्यायिक प्रशासन	35.73	29.67	54.67	19.38	39.73
3.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	1,037.70	669.86	1,284.98	823.29	372.54
4.	07-वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	480.27	786.13	1,020.53	226.15	697.69
5.	08-आबकारी	1.44	1.91	5.13	2.59	3.12
6.	10-पुलिस एवं कारागार	100.55	60.74	149.77	73.90	105.30
7.	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	741.48	811.98	1,313.18	439.41	542.42
8.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	397.34	514.02	452.31	510.18	496.45
9.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	175.86	300.00	416.29	171.25	143.54
10.	14-सूचना	1.01	2.19	4.76	3.30	8.92
11.	15-कल्याण	342.56	396.89	504.66	324.83	367.60
12.	16-श्रम एवं रोजगार	58.20	86.03	72.37	19.06	146.57
13.	17-कृषि कर्म एवं अनुसंधान	91.09	215.51	252.03	64.05	169.84
14.	18-सहकारिता	7.93	6.60	16.69	2.84	16.46
15.	19-ग्रामीण विकास	651.46	126.96	485.65	557.81	205.91
16.	20-सिंचाई व बाढ़	63.40	49.57	100.57	36.58	72.21
17.	22-लोक निर्माण	205.45	119.55	61.65	63.62	159.06
18.	23-उद्योग	14.02	34.66	106.40	43.01	53.04
19.	24-परिवहन	5.27	5.60	11.69	9.43	25.50
20.	25-खाद्य	224.72	129.08	171.66	55.36	86.46
21.	26-पर्यटन	42.46	4.17	18.69	8.40	14.96
22.	27-वन	1,19.93	80.72	2,10.08	82.90	128.63
23.	28-पशुपालन	33.92	24.21	73.87	22.33	25.39
24.	29-उद्यान विकास	41.31	61.45	49.46	55.47	44.62
25.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	269.50	490.39	542.21	245.12	321.08
26.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	95.59	117.85	138.15	90.34	122.09
राजस्व-प्रभारित						
1.	02-राज्यपाल	1.19	1.31	4.81	2.18	3.16
2.	04-न्यायिक प्रशासन	7.59	8.77	28.12	7.20	18.09
3.	07-वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	657.44	414.76	226.69	646.15	699.30
4.	09-लोक सेवा आयोग	1.59	1.64	9.49	10.11	11.77
5.	22-लोक निर्माण	4.71	5.09	1.38	3.95	6.13

पूँजीगत-दत्तमत						
1.	04-न्यायिक प्रशासन	19.54	29.06	38.67	3.76	4.64
2.	06-राजस्व एवं सामान्य प्रशासन	4.85	4.42	74.61	146.15	272.51
3.	07-वित्त, कर, नियोजन, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ	23.09	15.31	310.53	262.41	160.34
4.	10-पुलिस एवं कारागार	7.55	2.91	17.12	8.43	4.63
5.	11-शिक्षा, खेलकूद, युवा कल्याण एवं संस्कृति	189.88	370.80	152.73	111.97	155.14
6.	12-चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	24.27	33.80	32.28	82.61	42.40
7.	13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास	477.85	157.08	174.45	193.49	517.31
8.	15-कल्याण	74.29	39.12	17.66	44.01	42.42
9.	21-ऊर्जा	361.66	102.42	314.05	196.67	73.15
10.	23-उद्योग	25.81	16.29	34.66	57.77	46.68
11.	24-परिवहन	30.00	59.21	44.41	19.23	173.86
12.	26-पर्यटन	179.95	63.10	71.64	5.22	55.11
13.	30-अनुसूचित जातियों का कल्याण	299.68	134.77	117.96	61.89	96.28
14.	31-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण	42.37	61.52	59.85	36.65	54.08

सरकार द्वारा वर्ष 2018-19 में हुई बचत के कारणों को सूचित नहीं किया गया (दिसम्बर 2019)। भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के वर्ष 2017-18 के राज्य के वित्त पर प्रतिवेदन में उल्लेख किए जाने के बावजूद भी चालू वर्ष के दौरान पर्याप्त संख्या में निरन्तर बचत के प्रकरण प्रकाश में आये जो निधियों की आवश्यकता से अधिक निर्धारण का सूचक है। इसकी समीक्षा की आवश्यकता है।

2.3.7 बजट के व्ययगत होने से बचने के लिए निधियों का आहरण

सरकार की देनदारियों के निर्वहन के लिए, सरकार समेकित निधि से धनराशि अंतरण कर उसे जमा करने के लिए वैयक्तिक जमा (पी डी) खाता खोलने के लिए अधिकृत है। सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम (नियम 8) के प्रावधानों के अनुसार, केवल तत्काल भुगतान की आवश्यकता के लिए ही निधियों का आहरण किया जाएगा और वित्त विभाग की सहमति के बिना कहीं और निवेश या जमा करने के लिए सरकारी खाते से धन नहीं निकाला जाएगा। इसके अतिरिक्त, बजट अनुदान को कालातीत होने से बचाने के लिए निधियों का आहरण करके और इस तरह की निधियों को लोक खाते अथवा बैंक में जमा करने की प्रवृत्ति निषिद्ध हैं।

वर्ष 2018-19 के अंत तक पी डी खातों में ₹ 180.09 करोड़ की अव्ययित धनराशि समेकित निधि में अन्तरित करनी शेष रही। आगे, यह भी देखा गया कि मुख्य शीर्ष 4515, 2415 और 2235 के अंतर्गत ₹ 19.74 करोड़, ₹ 3.75 करोड़ और ₹ 0.28 करोड़ की राशि मार्च में पी डी खातों में स्थानांतरित की गई।

वर्ष 2018-19 के दौरान पी डी खाता की स्थिति तालिका-2.8 में दी गयी है।

तालिका-2.8: वर्ष 2018-19 के दौरान पी डी खातों (मुख्य शीर्ष 8443-106) की स्थिति


(₹ करोड़ में)

प्रारम्भिक अवशेष		वर्ष के दौरान वृद्धि		वर्ष के दौरान बन्द		अंतिम अवशेष	
संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि	संख्या	धनराशि
46 ³	235.52	01	226.24	...	281.67	47	180.09

³ मिलान के कारण पिछले वर्ष के प्रारम्भिक अवशेष से भिन्नता।

चार्ट-2.5: पी डी खाते

(₹ करोड़ में)



राज्य में 31 मार्च 2019 को ₹ 180.09 करोड़ के अंतिम अवशेष के साथ 47 वैयक्तिक जमा खाते थे। इनमें से ₹ 98.36 करोड़ (54.61 प्रतिशत) की धनराशि जिला अधिकारी देहरादून के एक वैयक्तिक जमा खाते से संबन्धित थी। जिनको वित्तीय वर्ष के अन्त में बंद करने और अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में हस्तांतरित किया जाना आवश्यक था। यह भी देखा गया है कि जिला अधिकारी देहरादून के पी एल ए में पड़ी हुई धनराशि राज्य सरकार के दूसरे विभागों के उपयोग के लिए थी जैसे कि सामाजिक कल्याण विभाग, नागरिक आपूर्ति विभाग, क्रिड़ा विभाग एवं स्वजल। वर्ष 2018-19 के दौरान इस लेखे में से कोई भी व्यय नहीं किया गया था, अपितु ₹ 4.77 करोड़ की धनराशि इस खाते में स्थानांतरित कर दी गई। इसके अतिरिक्त, कार्यालय महालेखाकार (ले एवं हक) उत्तराखण्ड से इस खाते का नवीनीकरण न तो वर्ष 2017-18 में और न ही वर्ष 2018-19 में कराया गया। पी डी खाते में धनराशि पड़े रहने के परिणामस्वरूप व्यय को उस सीमा तक बढ़ा कर सूचित करना हुआ। इसके अतिरिक्त, पी डी खाते के प्रशासकों द्वारा अपने अवशेषों का मिलान भी कोषागार के आँकड़ों के साथ नहीं किया गया। वैयक्तिक जमा खातों का आवधिक मिलान न करना और वैयक्तिक जमा खातों में पड़ी हुई अव्ययित शेष राशि को समेकित निधि में हस्तांतरित न किया जाना सार्वजनिक धन के दुरुपयोग, धोखाधड़ी और दुर्विनियोग के जोखिम को बढ़ाता है।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों और जिला कोषागार अधिकारियों को एक शासनादेश जारी किए जाने का आश्वासन दिया कि वे केवल वित्त विभाग और महालेखाकार (लेखा एवं हक) की सहमति से नए पी एल ए खाते खोलें और इसे निधियों की पार्किंग के लिए उपयोग न करें।

2.4 चयनित अनुदानों की समीक्षा के परिणाम

वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक की अवधि के लिए अनुदान संख्या 07-वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ और अनुदान संख्या 13-जल आपूर्ति, आवास एवं शहरी विकास के अंतर्गत प्राप्तियों एवं व्ययों की समीक्षा से निम्नलिखित स्थिति प्रकट हुई:

अनुदान संख्या 07-वित्त, कर, योजनाएँ, सचिवालय एवं विविध सेवाएँ

अ. राजस्व व्यय

वर्ष 2017-18 के दौरान कुल राजस्व व्यय पिछले वर्ष से 30.91 प्रतिशत की वृद्धि एवं पुनः वर्ष 2018-19 के दौरान पिछले वर्ष से 7.25 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है, जैसा कि तालिका-2.9 में सारांशित है।

तालिका-2.9: वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	व्यय में विचलन
2030-स्टॉप एवं पंजीकरण, 2040-बिक्री, व्यापार आदि पर कर, 2043-राज्य माल और सेवाओं पर कर के तहत संग्रह शुल्क, 2045-जिंसों और सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क, 2047-अन्य राजकोषीय सेवाएँ, 2048, 2049-ब्याज भुगतान, 2052-सचिवालय सामान्य सेवाएँ, 2054-कोषागार एवं लेखा प्रशासन, 2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ, 2515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम, 3451-सचिवालय आर्थिक सेवाएँ, 3454-जनगणना सर्वेक्षण और सांख्यिकी तथा 3604-स्थानीय निकायों और पंचायतीराज संस्थानों को मुआवजा और असाइनमेंट	2016-17	9,946.90	2.22	9,949.12	8,701.90	1,247.22	12.54	-
	2017-18	11,576.52	687.45	12,263.97	11,391.67	872.30	7.11	30.91
	2018-19	13,164.90	449.72	13,614.62	12,217.62	1,397.00	10.26	7.25

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से यह सिद्ध होता है कि 2016-17 से 2018-19 के दौरान निरंतर बचत हुई है। 2018-19 के दौरान, ₹ 449.72 करोड़ का अनावश्यक अतिरिक्त प्रावधान किया गया था क्योंकि मूल आवंटन (₹ 13,164.90 करोड़) ही वास्तविक व्यय से (₹ 12,217.62 करोड़) अधिक था।

कुछ लेखाओं के शीर्षों की नमूना जाँच में (किसी भी वर्ष में ₹ 50 लाख से अधिक) पिछले वर्षों से, व्यय की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण विचलन प्रकट हुआ, जैसा कि तालिका-2.10 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.10: अनुदान में पिछले वर्षों की तुलना में व्यय में प्रमुख विचलन की प्रवृत्ति

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन (प्रतिशत में)	
		2016-17	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
1.	2030-01-101-03	107.81	309.06	33.98	201.25	-275.08	186.67	-89.01
2.	2040-00-800-05	11,280.92	10,417.77	3,977.60	-863.15	-6440.17	-7.65	-61.82
3.	2054-00-003-03	20.00	140.00	200.00	120.00	60.00	600.00	42.86
4.	2071-01-104-03	36,980.60	462.42	4,8321.04	-36518.18	47858.62	-98.75	10349.60
5.	2071-01-111-03	296.56	396.45	1,023.09	99.89	626.64	33.68	158.06
6.	3454-02-001-01	182.99	120.64	63.02	-62.35	-57.62	-34.07	-47.76
7.	3454-02-001-03	1,351.35	1,580.58	1,695.92	229.23	115.34	16.96	7.30
8.	3604-01-191-01	4,834.15	5,925.93	4,547.44	1091.78	-1378.49	22.58	-23.26
9.	3604-01-191-03	9,772.23	2,2982.93	24,504.65	13210.70	1521.72	135.19	6.62
10.	3604-01-192-01	3,723.82	7,842.28	4,945.67	4118.46	-2896.61	110.60	-36.94
11.	3604-01-193-03	7,423.25	6,924.26	6,346.99	-498.99	-577.27	-6.72	-8.34

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

ब. पूँजीगत व्यय

वर्ष 2017-18 के दौरान कुल पूँजीगत व्यय पिछले वर्ष की तुलना में, 47.88 प्रतिशत की वृद्धि एवं वर्ष 2018-19 के दौरान 32.61 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। जैसा कि निम्न तालिका-2.11 में सारांशित है।

तालिका-2.11: वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान मूल/अनुपूरक प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

लेखा शीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	आधिक्य	प्रतिशत में	
							आधिक्य	व्यय में विचलन
4059-लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय, 4515-अन्य ग्रामीण विकास पर पूँजीगत परिव्यय, 6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण, 6004-केंद्र सरकार से ऋण एवं अग्रिम, 7610-सरकारी कर्मचारियों को ऋण एवं अग्रिम आदि एवं 7615-विविध ऋण	2016-17	2,120.36	306.00	2,426.36	5,302.28	(+) 2,875.92	118.53	--
	2017-18	3,087.23	5.00	3,092.23	7,841.21	(+) 4,748.98	153.58	47.88
	2018-19	3,404.13	106.00	3,510.13	10,397.93	(+) 6,887.80	196.23	32.61

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से यह सिद्ध होता है कि वर्ष 2016-17, 2017-18 एवं 2018-19 में निरंतर बढ़ोत्तरी हुई है। वर्ष 2017-18 के दौरान ₹ पाँच करोड़ का अनुपूरक प्रावधान अनुपयोगी सिद्ध हुआ क्योंकि वास्तविक व्यय (₹ 7,841.21 करोड़) कुल प्रावधान से कहीं अधिक था। इसी प्रकार वर्ष 2018-19 में कुल प्रावधान ₹ 106 करोड़ के अनुपूरक प्रावधान के बावजूद अपर्याप्त था क्योंकि वास्तविक व्यय (₹ 10,397.93 करोड़) कुल प्रावधान से 196.23 प्रतिशत बढ़ गया था।

स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

उप-शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान वर्ष के अंत तक निम्नलिखित उप-शीर्षों के अंतर्गत समग्र प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) का उपयोग नहीं किया गया।

तालिका-2.12: वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान समग्र प्रावधान के अनुपयोगी रहने की सारांशित स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	वर्ष	लेखाशीर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक	बचत
1.	2016-17	2049-03-104-06	550.00	0.00	550.00
2.		2049-03-104-05	330.00	0.00	330.00
3.		2071-01-101-06	1,100.00	0.00	1,100.00
4.		2071-01-101-07	100.00	0.00	100.00
5.		2071-01-102-04	5,000.00	0.00	5,000.00
6.	2017-18	2049-01-101-27	1,812.20	0.00	1,812.20
7.		2052-00-090-16	33.42	0.00	33.42
8.		2071-01-101-06	1,200.00	150.00	1,350.00
9.		2071-01-101-07	15,000.00	0.00	15,000.00
10.		2071-01-102-03	18,060.00	27,800.00	45,860.00
11.		2048-00-797-03	20,000.00	0.00	20,000.00
12.		2049-01-101-17	3,038.97	0.00	3,038.97
13.		2049-01-200-11	100.00	0.00	100.00
14.	2018-19	2048-00-797-03	5,000.00	15,000.00	20,000.00
15.		2048-00-797-04	1,500.00	5,000.00	6,500.00
16.		2049-01-200-11	100.00	0.00	100.00
17.		2049-03-104-05	330.00	0.00	330.00
18.		2071-01-101-06	1,600.00	0.00	1,600.00
19.		3451-00-092-07	50.00	0.00	50.00
20.		3604-02-196-04	1,661.00	0.00	1,661.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

द. प्राप्तियाँ

वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान चयनित अनुदान के मुख्य शीर्ष 0030, 0040, 0043, 0045, 0047, 0049 और 0071 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-2.13 में सारांशित है।

तालिका-2.13: अनुदान के मुख्य शीर्ष 0030, 0040, 0043, 0045, 0047, 0049 और 0071 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	संशोधित अनुमान से प्रतिशत विचलन
2016-17	10,018.67	8,310.59	8,373.35	62.76	0.76
2017-18	4,562.27	4,540.73	5,205.65	664.92	14.64
2018-19	5,445.32	5,645.32	5,346.69	-298.63	-5.29

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

तथापि, कुछ लेखा शीर्षों की नमूना जाँच में पिछले वर्षों की वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों की प्राप्तियों के अनुमान में कमी/आधिक्य पायी गयी जैसा कि तालिका-2.14 में दिया गया है।

तालिका-2.14: वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान प्राप्तियों की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	पुनरिक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	पुनरिक्षित अनुमान से प्रतिशत विचलन
1.	0030-01-101	2016-17	1.65	8.22	8.08	-0.14	-1.70
		2017-18	8.00	8.00	18.31	10.31	128.88
		2018-19	00.00	00.00	6.18	6.18	0.00
2.	0030-01-800	2016-17	100.00	2.34	00.00	-2.34	-100.00
		2017-18	50.00	40.00	2.20	-37.8	-94.50
		2018-19	60.00	60.00	1.94	-58.06	-96.77
3.	0030-02-102	2016-17	798.15	594.09	591.90	-2.19	-0.37
		2017-18	714.00	714.00	662.77	-51.23	-7.18
		2018-19	620.00	620.00	776.09	156.09	25.18
4.	0030-02-103	2016-17	1.27	1.14	1.14	0	0.00
		2017-18	1.65	1.65	2.12	0.47	28.48
		2018-19	1.65	1.65	3.53	1.88	113.94
5.	0030-02-800	2016-17	29.07	0.75	0.88	0.13	17.33
		2017-18	13.04	10.04	1.00	-9.04	-90.04
		2018-19	150.04	150.04	00.00	-150.04	-100.00
6.	0030-03-104	2016-17	100.00	170.91	170.91	0	0.00
		2017-18	200.00	200.00	190.73	-9.27	-4.64
		2018-19	250.00	250.00	222.60	-27.4	-10.96
7.	0030-03-800	2016-17	170.00	2.32-	2.32	0	0.00
		2017-18	110.02	100.02	1.06	-98.96	-98.94
		2018-19	110.02	110.02	0.82	-109.2	-99.25
8.	0040-00-101	2016-17	0.0001	786.73	668.14	-118.59	-15.07
		2017-18	308.00	308.00	126.92	-181.08	-58.79
		2018-19	100.00	100.00	18.94	-81.06	-81.06
9.	0040-00-102	2016-17	5,703.30	6,320.33	6,474.57	154.24	2.44
		2017-18	1,874.00	1,874.00	3,572.38	1,698.38	90.63
		2018-19	200.00	200.00	43.67	-156.33	-78.17
10.	0040-00-103	2016-17	1,600.00	14.00	0.70	-13.3	-95.00
		2017-18	0.0001	0.0001	0.09	0.0899	89,900.00
		2018-19	1,827.00	1,827.00	1,820.12	-6.88	-0.38
11.	0040-00-106	2016-17	20.01	10.35	10.35	0	0.00
		2017-18	20.00	20.00	3.30	-16.7	-83.50
		2018-19	2.00	2.00	0.15	-1.85	-92.50
12.	0043-00-103	2016-17	0.0001	.006	00.00	-0.006	-100.00
		2017-18	0.007	0.007	0.01	0.003	42.86
		2018-19	0.005	0.005	0.008	0.003	60.00
13.	0045-00-101	2016-17	29.15	38.00	37.51	-0.49	-1.29
		2017-18	40.00	40.00	29.20	-10.80	-27.00
		2018-19	0.0001	0.0001	0.28	0.2799	2,79,900.00
14.	0045-00-102	2016-17	0.0002	0.05	0.64	0.59	1,180.00
		2017-18	0.0002	0.0002	0.02	0.0198	9,900.00
		2018-19	0.0002	0.0002	0.002	0.00	0.00
15.	0045-00-110	2016-17	350.00	88.17	88.17	0	0.00
		2017-18	300.00	300.00	134.30	-165.70	-55.23
		2018-19	300.00	300.00	167.60	-132.40	-44.13

16.	0045-00-111	2016-17	0.007	0.008	0.008	0	0.00
		2017-18	0.008	0.008	0.01	0.002	25.00
		2018-19	0.0001	0.0001	0.0024	0.0023	2,300.00
17.	0045-00-112	2016-17	0.55	0.33	0.21	-0.12	-36.36
		2017-18	0.50	0.50	0.18	-0.32	-64.00
		2018-19	0.0001	0.0001	00.00	-0.0001	-100.00
18.	0047-01-800	2016-17	0.006	0.0001	0.001	0.0009	900.00
		2017-18	0.006	0.006	0.01	0.004	66.67
		2018-19	0.03	0.03	0.07	0.04	133.33
19.	0049-04-103	2016-17	10.20	0.07	47.53	47.46	67,800.00
		2017-18	0.10	0.10	71.26	71.16	71,160.00
		2018-19	0.10	0.10	44.07	43.97	43,970.00
20.	0049-04-110	2016-17	60.00	11.00	24.06	13.06	118.73
		2017-18	12.00	12.00	14.05	2.05	17.08
		2018-19	12.00	12.00	10.49	-1.51	-12.58
21.	0049-04-800	2016-17	26.40	36.56	0.17	-36.39	-99.54
		2017-18	40.15	41.61	0.08	-41.53	-99.81
		2018-19	45.00	45.00	1.13	-43.87	-97.49
22.	0071-01-800	2016-17	608.30	3.00	0.1	-2.9	-96.67
		2017-18	503.30	503.30	00.00	-503.3	-100.00
		2018-19	1,303.30	1,503.30	1,656.75	153.45	10.21

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

अनुदान संख्या 13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास

अ. राजस्व व्यय

कुल राजस्व व्यय पिछले वर्षों की तुलना में 2017-18 के दौरान 21.57 प्रतिशत की कमी के सापेक्ष वर्ष 2018-19 के दौरान 3.87 प्रतिशत की कमी दर्शाता है, जैसा कि तालिका-2.15 से सारांशित है।

तालिका-2.15: वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल	अनुपूरक	योग	वास्तविक व्यय	बचत	बचत (प्रतिशत में)	व्यय में वृद्धि (प्रतिशत में)
2515-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	2016-17	1,083.09	78.01	1,161.10	744.80	416.29	35.85	-
	2017-18	651.69	103.72	755.41	584.16	171.25	22.67	(-) 21.57
2517-शहरी विकास	2018-19	588.57	116.50	705.07	561.53	143.54	20.36	(-) 3.87

स्रोत: विनियोग लेखे।

उपरोक्त से सिद्ध होता है कि वर्ष 2016-17 से 2018-19 तक लगातार बचत हुई है। वर्ष 2016-17 के दौरान ₹ 78.01 करोड़ का अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान किया गया था क्योंकि मूल आवंटन (₹ 1,083.09 करोड़) वास्तविक व्यय (₹ 744.80 करोड़) से कहीं अधिक था इसी तरह वर्ष 2017-18 के दौरान, ₹ 103.72 करोड़ का अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान किया गया था। क्योंकि मूल आवंटन (₹ 651.69 करोड़) वास्तविक व्यय (₹ 584.16 करोड़) से कहीं अधिक था। वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 116.50 करोड़ का अनावश्यक अनुपूरक प्रावधान किया गया था क्योंकि मूल आवंटन (₹ 588.57 करोड़) वास्तविक व्यय (₹ 561.53 करोड़) से कहीं अधिक था।

कुछ लेखा शीर्षों की नमूना जाँच में (किसी भी वर्ष में 50 लाख से अधिक) पिछले वर्षों की तुलना में व्यय की प्रवृत्ति में महत्वपूर्ण विचलन प्रकट हुआ, जैसा कि निम्न तालिका-2.16 में दर्शाया गया है।

तालिका-2.16: अनुदान में पिछले वर्षों से व्यय में उल्लेखनीय विचलन की प्रवृत्ति

लेखाशीर्ष	व्यय (₹ लाख में)			विचलन (₹ लाख में)		विचलन (प्रतिशत में)	
	2016-17	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19	2017-18	2018-19
2215-01-101-05	15,792.19	19,789.10	24,982.63	3,996.91	5,193.53	25.31	26.24
2215-01-102-01	7,754.27	2,669.39	394.07	-5,084.88	-2,275.32	-65.58	-85.24
2215-01-102-07	1,330.91	1,105.00	4,002.62	-225.91	2,897.62	-16.97	262.23
2215-01-190-03	4,450.00	2,500.00	3,000.00	-1,950.00	500.00	-43.82	20.00
2215-01-190-05	3,000.00	9,680.00	5,200.00	6,680.00	-4,480.00	222.67	-46.28
2215-02-106-03	699.33	600.00	1,500.00	-99.33	900.00	-14.20	150.00
2217-03-001-06	381.14	475.61	526.68	94.47	51.07	24.79	10.74
2217-03-191-03	5,022.91	872.30	25.97	-4,150.61	-846.33	-82.63	-97.02
2217-03-800-01	14,331.36	436.12	1,617.13	-13,895.24	1,181.01	-96.96	270.80

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखें।

ब. पूँजीगत व्यय

कुल पूँजीगत व्यय, पिछले वर्षों की तुलना में, वर्ष 2017-18 के दौरान 105.73 प्रतिशत की वृद्धि तथा वर्ष 2018-19 के दौरान 6.22 प्रतिशत की कमी दर्शाता है, जैसा कि तालिका-2.17 में सारांशित है।

तालिका-2.17: वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान मूल प्रावधान के सापेक्ष वास्तविक व्यय की सारांशित स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखाशीर्ष	वर्ष	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	योग	वास्तविक व्यय	बचत	प्रतिशत में	
							बचत	व्यय में विचलन
4215-जल आपूर्ति एवं स्वच्छता पर पूँजीगत परिव्यय, 4216-आवास पर पूँजीगत परिव्यय, 4217-शहरी विकास पर पूँजीगत परिव्यय और 6217- शहरी विकास के लिए ऋण	2016-17	378.79	105.53	484.32	309.87	174.45	36.02	-
	2017-18	642.81	188.19	831.00	637.51	193.49	23.28	(+) 105.73
	2018-19	1,047.47	67.70	1,115.17	597.86	517.31	46.39	(-) 6.22

स्रोत: विनियोग लेखें।

उपरोक्त से स्पष्ट है कि पूँजीगत शीर्ष की अनुदान संख्या 13-जलापूर्ति, आवास एवं शहरी विकास के अंतर्गत वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 के दौरान क्रमशः ₹ 174.45 करोड़ (36.02 प्रतिशत), ₹ 193.49 करोड़ (23.28 प्रतिशत) और ₹ 517.31 करोड़ (46.39 प्रतिशत) की निरंतर बचत हुई। आगे इन सभी तीन वर्षों में अनुपूरक प्रावधान अनावश्यक सिद्ध हुए क्योंकि वास्तविक व्यय मूल अनुदान से कम था।

स. सम्पूर्ण प्रावधान का अनुपयोगी रहना

कुछ उप-लेखा शीर्षों की नमूना जाँच में पाया गया कि विभाग द्वारा वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान वर्ष के अंत तक समग्र प्रावधान (₹ एक करोड़ और अधिक) का उपयोग नहीं किया गया जैसा कि तालिका संख्या-2.18 में दिया गया है।

तालिका-2.18: वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान सम्पूर्ण प्रावधानों के अनुपयोगी रहने की सारांशित स्थिति

क्र. सं.	वर्ष	लेखा शीर्ष	मूल	अनुपूरक	योग (₹ लाख में)
1.	2016-17	2217-03-191-01	2,370.00	00.00	2,370.00
2.		2217-03-191-04	100.00	00.00	100.00
3.		2217-03-191-97	1,400.00	00.00	1,400.00
4.		2217-03-800-13	300.00	00.00	300.00
5.	2017-18	2215-01-052-02	100.00	00.00	100.00
6.		2217-03-800-16	00.00	200.00	200.00
8.		2217-05-051-01	2,500.00	00.00	2,500.00
9.		2217-80-800-09	100.00	00.00	100.00
10.	2018-19	2215-01-101-01	119.01	00.00	119.01
11.		2217-03-800-12	500.00	00.00	500.00
12.		2217-03-800-17	1,500.00	00.00	1,500.00
13.		2217-03-800-19	200.00	00.00	200.00

स्रोत: विस्तृत विनियोग लेखे।

द. प्राप्तियाँ

वर्ष 2016-17 से 2018-19 के दौरान, अनुदान के मुख्य शीर्ष 0215, 0216 एवं 0217 के अंतर्गत राजस्व प्राप्तियों की समग्र स्थिति तालिका-2.19 में सारांशित है:-

तालिका-2.19: अनुदान के मुख्यशीर्ष 0215, 0216 एवं 0217 के अन्तर्गत राजस्व प्राप्तियों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट अनुमान	पुनरिक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	पुनरिक्षित अनुमान से विचलन (प्रतिशत में)
2016-17	13.10	15.09	15.09	00.00	00.00
2017-18	14.75	15.75	17.12	1.37	8.70
2018-19	19.55	11.35	11.33	(-) 0.02	(-) 0.18

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

तथापि, कुछ शीर्षों की नमूना जाँच में पिछले वर्षों में वास्तविक प्राप्तियों की तुलना में आगामी वर्षों में प्राप्तियों के अनुमान में कमी/आधिक्य पायी गयी जैसा कि तालिका-2.20 में दिया गया है।

तालिका-2.20: प्राप्तियों की स्थिति, लघु शीर्ष 0215, 0216 तथा 0217

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	लेखा शीर्ष	वर्ष	बजट अनुमान	पुनरिक्षित अनुमान	वास्तविक प्राप्तियाँ	आधिक्य/कमी	पुनरिक्षित अनुमान से प्रतिशत विचलन
1.	0215-01-103	2016-17	4.40	7.36	7.36	00.00	00.00
		2017-18	7.50	5.50	8.35	2.85	51.82
		2018-19	8.00	0.10	0.001	(-) 0.099	-99.00
2.	0216-01-106	2016-17	4.30	4.46	4.46	00.00	00.00
		2017-18	4.00	7.00	7.39	0.39	5.57
		2018-19	8.00	10.00	10.11	0.11	1.10
3.	0217-03-800	2016-17	4.40	3.27	3.27	00.00	00.00
		2017-18	3.25	3.25	1.38	-1.87	-57.54
		2018-19	3.55	1.25	1.22	-0.03	-2.40

स्रोत: बजट तथा वित्त लेखे।

इस प्रकार, वास्तविक प्राप्तियों तथा पुनरीक्षित अनुमानों में उल्लेखनीय विचलन थे, जो कि अनुमानों में कमियों को इंगित करता है।

2.5 कोषागारों के निरीक्षण के परिणाम

राज्य में 90 इकाईयाँ थीं जिनमें 19 कोषागार तथा 70 उपकोषागार और देहरादून में एक साइबर कोषागार था, इसके अलावा नई दिल्ली में एक वेतन एवं लेखा कार्यालय था। वर्ष 2018-19 में 54 इकाईयाँ⁴ के निरीक्षण में वृहत अनियमितताएँ पायी गईं जिन्हें तालिका-2.21 में समाहित किया गया है।

तालिका-2.21: कोषागारों के निरीक्षण के परिणाम

क्र. सं.	श्रेणी	राशि (₹ करोड़ में)
1.	टी आर 24 द्वारा आहरित गई असमायोजित धनराशि	0.20
2.	पी एल ए खातों से धन का अनियंत्रित आहरण	27.14
3.	वित्तीय वर्ष 2016-17 में पेंशन धारकों से टी डी एस कटौती न करना	0.14

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड द्वारा कोषागारों पर की गई वार्षिक समीक्षा 2018-19।

2.6 आकस्मिकता निधि से अग्रिम

भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 (2) एवं 283 (2) के प्रावधानों के अनुसार राज्य की आकस्मिकता निधि की स्थापना, एक अग्रदाय के रूप में, उत्तराखण्ड आकस्मिक निधि अधिनियम, 2001 (2001 के अधिनियम सं.2) के अन्तर्गत की गयी है। इस निधि से अग्रिम केवल अप्रत्याशित और तात्कालिक प्रकृति के व्यय को पूरा करने हेतु दिया जाना चाहिए, जिन्हें विधायिका द्वारा प्राधिकृत किये जाने तक स्थगित रखना अवांछनीय होगा। वर्ष 2018-19 के अंत तक ₹ 500 करोड़ का आकस्मिक निधि का संग्रह कायम रहा। निधि से किसी भी प्रकार के अग्रिम की निकासी की छतिपूर्ति उसी वित्तीय वर्ष के अंदर राज्य की समेकित निधि से करनी होती है। तथापि, वर्ष 2018-19 के दौरान ₹ 107.08 करोड़ के अग्रिम आकस्मिकता निधि से आहरण किये गये जो 31 मार्च 2019 तक सेवाशीर्ष से आकस्मिकता निधि में उत्तराखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम 2001 की धारा 5 के अनुसार प्रतिपूर्ति किये जाने शेष थे। अगस्त 2019 तक, वर्ष 2018-19 के लिए अक्षतिपूर्ण आकस्मिकता निधि की स्थिति परिशिष्ट-2.12 में दर्शायी गयी है। परिशिष्ट-2.13 में वर्ष 2017-18 की आकस्मिकता निधि की अक्षतिपूर्ण राशि की स्थिति को दर्शाया गया है।

तालिका-2.22: आकस्मिकता निधि से व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	आकस्मिकता निधि अग्रिम	प्राकृतिक आपदा पर व्यय	प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त अन्य व्यय		प्राकृतिक आपदा के अतिरिक्त व्यय की प्रतिशतता
			पूँजीगत व्यय	अन्य पूँजीगत व्यय	
2014-15	194.15	10.00	58.38	125.77	94.85
2015-16	385.46	00.00	35.04	350.42	100.00
2016-17	227.70	1.77	15.46	210.47	99.22
2017-18	231.50	4.87	161.52	65.11	97.90
2018-19	107.08	12.50	2.00	92.58	88.33
योग	1,145.89	29.14	272.40	844.35	

⁴ 19 कोषागार और 32 उपकोषागार, एक साइबर कोषागार, एक वेतन एवं लेखा कार्यालय एवं एक निदेशक कोषागार।

वर्ष 2014-15 से 2018-19 की अवधि के दौरान, यह देखा गया कि राज्य सरकार ने प्राकृतिक आपदा पर, जो कि आकस्मिक प्रकृति का है, आकस्मिकता निधि के शून्य से 11.67 प्रतिशत के मध्य व्यय किया। हालाँकि, सरकार ने 2014-15 से 2018-19 की अवधि में पूँजीगत उद्देश्यों के लिए आकस्मिकता निधि से ₹ 272.40 करोड़ (23.77 प्रतिशत) अग्रिमों को बहाल किया।

वर्ष 2018-19 के दौरान आकस्मिकता निधि से मिले पूँजीगत व्यय के विश्लेषण से ज्ञात हुआ कि निधि से ऐसे कार्यों पर व्यय किया गया जो प्राकृतिक आपदा से संबन्धित नहीं थे जैसे कि अस्थाई बैरक, स्नानागार एवं रसोई का निर्माण (₹ दो करोड़); गन्ना मिलों को ऋण (₹10 करोड़); “राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान” योजना (₹ 18.69 करोड़); अपने कर्मचारियों के वेतन के भुगतान हेतु प्रबंध निदेशक उत्तराखण्ड पेयजल संस्थान विकास एवं निर्माण निगम कार्यालय को अनुदान (₹ 16 करोड़); गन्ने का क्रय करने हेतु बकाए का भुगतान करने के लिए चीनी मिलों को अनुदान (₹ 12.16 करोड़); अन्य ग्राम विकास कार्यक्रम (₹ 7.09 करोड़); जिला पुलिस के सुदृढीकरण हेतु (₹ 10.35 करोड़); सड़क परिवहन के अंतर्गत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को सहायता (₹ 9.63 करोड़); राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं के उन्नयन हेतु (₹ 5.56 करोड़); एवं अन्य⁵ (₹ 3.10 करोड़)।

उपरोक्त व्यय आकस्मिकता निधि के संचालन को नियंत्रित करने वाले नियमों का उल्लंघन था।

2.7 (अ) सार आकस्मिक (ए सी) बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक (डी सी सी) बिलों का लम्बित प्रस्तुतिकरण

वित्तीय नियम के अनुसार, प्रत्येक आहरण अधिकारी को प्रत्येक ए सी बिल में यह सत्यापित करना होता है कि चालू माह की पहली तिथि से पूर्व के उसके द्वारा आहरित सभी आकस्मिक प्रभारों के विस्तृत बिल, सम्बन्धित नियन्त्रण अधिकारियों को प्रतिहस्ताक्षर करने और महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) को प्रेषित करने हेतु अग्रेषित कर दिये गये हैं। मार्च 2019 के अन्त तक ₹ 0.56 करोड़ के विस्तृत बिल, जो 10 ए सी बिलों पर आहरित किए गए थे, का निस्तारण अवशेष था। वर्षवार विवरण तालिका-2.23 में दिया गया है।

तालिका-2.23: सार आकस्मिक बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का लम्बित प्रस्तुतिकरण (मार्च 2019 के अनुसार)

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बकाया डी सी बिल	
	संख्या	राशि
2017-18 तक	शून्य	...
2018-19	10	0.56
योग	10	0.56


स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड से संकलित सूचना।

⁵ लघु कृषि (₹ 1.69 करोड़), ग्रामीण एवं लघु उद्योग (₹ 0.81 करोड़), सामान्य शिक्षा (₹ 0.02 करोड़), शहरी विकास (₹ 0.14 करोड़), कृषि-पालन (₹ 0.25 करोड़), अन्य प्रशासनिक सेवाएँ (₹ 0.18 करोड़)।

₹ 0.56 करोड़ के कुल बकाया डी सी सी बिलों में से, ₹ 0.29 करोड़ के चार बकाया डी सी सी बिल निर्वाचन विभाग से संबंधित हैं। वर्ष 2018-19 तक की अवधि के लिए विभाग/कार्यालयवार बकाया डी सी सी बिलों की स्थिति **परिशिष्ट-2.14** में दी गई है।

पिछले पाँच वर्षों के दौरान ए सी बिलों के सापेक्ष विस्तृत प्रतिहस्ताक्षरित आकस्मिक बिलों का विवरण निम्न **चार्ट-2.6** में दिया गया है:

चार्ट-2.6: बकाया डी सी बिल



ए सी बिलों के सापेक्ष बकाया विस्तृत बिलों में पर्याप्त कमी थी और ₹ 0.56 करोड़ की धनराशि के केवल 10 डी सी सी बिल मार्च 2019 के अंत तक बकाया थे।

2.7(ब) असमाधानित व्यय

व्यय पर प्रभावी नियंत्रण एवं इसे बजट आवंटनों के अन्तर्गत सीमित रखने तथा उनके लेखों की शुद्धता सुनिश्चित करने के लिए विभागों के नियंत्रण अधिकारियों को सशक्त बनाने हेतु उत्तराखण्ड बजट मैनुअल 2012 का प्रस्तर 109 निर्धारित करता है कि उनके अभिलेखों में दर्ज व्यय का समाधान उनके द्वारा वित्तीय वर्ष के दौरान प्रत्येक माह महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) के अभिलेखों में दर्ज व्यय से किया जाना चाहिए। यद्यपि, लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में नियमित रूप से विभाग के आँकड़ों के असमाधान को इंगित किया जाता रहा है फिर भी इस सम्बन्ध में नियंत्रण अधिकारियों की ओर से चूक वर्ष 2018-19 के दौरान भी निरंतर जारी रहीं।

वर्ष 2018-19 के दौरान, 62 मुख्य नियंत्रण अधिकारियों (मु नि अ) में से 55 मु नि अ (88.71 प्रतिशत) द्वारा ₹ 38,380.44 करोड़ के कुल व्यय में से ₹ 36,524.41 करोड़ (95.16 प्रतिशत) का पूर्णतः समाधान किया गया।

वर्ष 2018-19 के दौरान छः नियंत्रण अधिकारियों से सम्बन्धित ₹ 10 करोड़ से अधिक के प्रकरण जिनमें ₹ 1,140.61 करोड़ (कुल व्यय का 2.97 प्रतिशत) असमाधानित रहे, का विवरण **तालिका-2.24** में दिया गया है।

तालिका-2.24: नियंत्रण अधिकारियों की सूची जहाँ 2018-19 के दौरान प्रत्येक प्रकरण में ₹ 10 करोड़ से अधिक की राशि पूर्णतः असमाधानित रही

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	नियंत्रण अधिकारी	राशि जिसका समाधान नहीं किया गया
1.	कार्यालय मुख्य राजस्व आयुक्त, रिंग रोड लाडपुर देहरादून	122.50
2.	कार्यालय प्रमुख सचिव, वित्त उत्तराखण्ड शासन	76.17
3.	कार्यालय महानिदेशक सामान्य चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	421.55
4.	कार्यालय सचिव आवास एवं शहरी विकास	147.10
5.	कार्यालय वित्त नियंत्रक, गोविंद बल्लभ.पंत कृषि एवं प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय	119.68
6.	कार्यालय मुख्य अभियंता सिंचाई विभाग	253.61
योग		1,140.61

स्रोत: महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) उत्तराखण्ड से संकलित आँकड़े।

उपर्युक्त विभागों के मु नि अ को महालेखाकार (ले एवं ह) द्वारा निर्धारित किए गए समाशोधन करने में विफल रहने के कारणों को अवगत कराने के लिए कहा गया था। हालाँकि अब तक (दिसम्बर 2019) कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ। नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा लेखों के समाधान न करने के फलस्वरूप निरस्त किए गए उप मुख्य शीर्षों का कुछ नियंत्रक प्राधिकारियों द्वारा चलन में जारी है।


सरकार को गबन तथा निधियों के दुरुपयोग की संभावनाओं के निवारण हेतु संबंधित नियंत्रण अधिकारियों द्वारा लेखाओं के समाधान को सुनिश्चित करना चाहिए।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, राज्य सरकार द्वारा सभी प्रशासनिक विभागों/मु नि अ/विभागों के प्रमुखों को महालेखाकार (ले एवं हक) उत्तराखण्ड के साथ निर्धारित समय पर मिलान के लिए एक सरकारी आदेश जारी करने के लिए सहमति दी गयी।

2.8 बजट प्रक्रिया

बजट तैयार करने की प्रक्रिया का फ्लो चार्ट निम्न है:

चार्ट-2.7: बजट तैयार करने की प्रक्रिया का फ्लो चार्ट



स्रोत: बजट मैनुअल के प्रस्तर 210 पर आधारित।

विभागीय अनुमान एवं जिले स्तर पर तैयार किए गए अनुमानों दोनों को उन अधिकारियों को बहुत सावधानी पूर्वक निरीक्षण करना चाहिए जिनको इन्हें प्रस्तुत करना होता है, ताकि अनुमान न तो अधिक और न ही कम हो, जितना संभव हो उतने परिशुद्ध हों।

लेखापरीक्षा विश्लेषण दर्शाता है कि बजट की तैयारी में विभिन्न दोष थे जो विधायी नियंत्रण में अपनी भूमिका को कमजोर करते हैं तथा सरकार के लिए धन के प्रवाह के अनुश्रवण हेतु एक उपकरण के रूप में हैं।

2.8.1 बजट प्रक्रिया में त्रुटियाँ

राज्य सरकार के वित्तीय वर्ष 2018-19 के बजट अभिलेखों में वर्गीकरण संबन्धित निम्नलिखित कमियाँ पायी गईं।

क्र. सं.	बजट अभिलेखों में वर्गीकरण	लेखों के मुख्य एवं लघु शीर्षों के आधार पर वर्गीकरण
1.	मुख्य शीर्ष-2070-104-सतर्कता	लघु शीर्ष 104-सतर्कता मौजूद नहीं है
2.	मुख्य शीर्ष-2202-02-105-अनौपचारिक शिक्षा	मुख्य शीर्ष-2202-02-103-अनौपचारिक शिक्षा
3.	मुख्य शीर्ष-2202-05-107-छात्रवृत्तियाँ	उप-मुख्य शीर्ष-05 के अंतर्गत लघु शीर्ष 107- छात्रवृत्तियाँ मौजूद नहीं है
4.	मुख्य शीर्ष-2202-80-107-प्रशिक्षण	मुख्य शीर्ष-2202-80-107-छात्रवृत्ति
5.	मुख्य शीर्ष-2215-01-107-सीवरैज सेवाएँ	मुख्य शीर्ष-2215-01-107- सीवरैज सेवाएँ मौजूद नहीं हैं
6.	मुख्य शीर्ष-4215-02-105-सीवरैज सेवाएँ	मुख्य शीर्ष-4215-02-105-सीवरैज सेवाएँ मौजूद नहीं हैं
7.	मुख्य शीर्ष-2501-01-003-प्रशिक्षण, 800-अन्य व्यय	मुख्य शीर्ष-2501-01 उप-मुख्य शीर्ष मौजूद नहीं है
8.	मुख्य शीर्ष-2701-16-102-रखरखाव एवं मरम्मत	मुख्य शीर्ष-2701-16-101-रखरखाव एवं मरम्मत
9.	मुख्य शीर्ष-4702-00-051-निर्माण	मुख्य शीर्ष-4702-00-051-निर्माण मौजूद नहीं है
10.	मुख्य शीर्ष 4711-01-051-निर्माण	मुख्य शीर्ष-4711-01-051-निर्माण.मौजूद नहीं है
11.	मुख्य शीर्ष-2810-01, 02, 03 एवं 60 प्रदान किए गए हैं	मुख्य शीर्ष-2810-इस मुख्य शीर्ष के अंतर्गत कोई उप-मुख्य शीर्ष मौजूद नहीं है
12.	मुख्य शीर्ष-2059-80-102- रखरखाव एवं मरम्मत	मुख्य शीर्ष-2059-80-102-रखरखाव एवं मरम्मत मौजूद नहीं है, बजाय लघु शीर्ष 053- रखरखाव एवं मरम्मत प्रदान किया गया है
13.	मुख्य शीर्ष-2216-01-700-अन्य आवास	मुख्य शीर्ष-2216-01-उप-मुख्य शीर्ष मौजूद नहीं है

इसी तरह की कमियों का उल्लेख राज्य के वित्त पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (2017-18) में भी किया गया था। हालाँकि, सरकार द्वारा इस पर संज्ञान नहीं लिया गया था।

बहिर्गमन गोष्ठी के दौरान, राज्य सरकार ने आश्वासन दिया कि वर्ष 2020-21 से सही प्रस्तुतिकरण किया जाएगा।

2.9 निष्कर्ष एवं संस्तुतियाँ

वर्ष 2018-19 के दौरान, ₹ 48,037.49 करोड़ के कुल अनुदानों एवं विनियोगों के सापेक्ष ₹ 1,358.35 करोड़ का सम्पूर्ण आधिक्य हुआ। पूँजीगत दत्तमत के अंतर्गत दो अनुदानों और पूँजीकृत भारत अनुभाग के अंतर्गत एक विनियोग में ₹ 8,464.98 करोड़ का आधिक्य था एवं 31 अनुदानों एवं आठ विनियोगों में ₹ 7,106.62 करोड़ की बचत हुई। ₹ 8,464.98 करोड़ के आधिक्य को भारत के संविधान के अनुच्छेद 205 के अंतर्गत नियमित किए जाने की आवश्यकता है। बड़ी बचत बजट अनुमानों में कमी को इंगित करता है। 42 प्रकरणों में ₹ 1,681.38 करोड़ का अनुपूरक प्रावधान

अनावश्यक सिद्ध हुआ। 124 प्रकरणों में निधियों का पुनर्विनियोजन तर्कसंगत नहीं था जिसके परिणामस्वरूप या तो बचत हुई अथवा प्रावधानों में आधिक्य हुआ। विभागों ने वित्तीय वर्ष के अन्तिम कार्य दिवस में ₹ 1,044.55 करोड़ अभ्यर्पित किये जिससे इन निधियों को अन्य विकास उद्देश्यों के लिए उपयोग करने की कोई गुंजाइश नहीं रह गई। एक प्रकरण में ₹ 33.78 करोड़ वास्तविक बचत से अधिक अभ्यर्पित किये गये।

राज्य सरकार वित्तीय वर्ष की समाप्ति से काफी पहले बचत/आधिक्य का अनुमान एवं अभ्यर्पण कर सकती है ताकि उनका अन्य क्षेत्रों/योजनाओं में प्रभावी उपयोग किया जा सके। आधिक्य व्यय की संभावना से बचने के लिए यह पर्याप्त निधि प्राप्त कर सकता है।

वर्ष 2005-06 से 2017-18 तक की अवधि से संबन्धित आधिक्य व्यय की धनराशि ₹ 27,194.15 करोड़ को अभी तक राज्य विधानमण्डल से नियमित नहीं किया गया है।

राज्य सरकार अपने व्यय बजट की योजना को अधिक गहन तरीके का बना सकती है ताकि अनुमोदित अनुदानों और विनियोगों से होने वाले आधिक्य से बचें।

आकस्मिकता निधि के अंतर्गत ₹ 107.08 करोड़ की एक महत्वपूर्ण धनराशि को स्वीकृत किया गया, जो 31 मार्च 2019 तक अप्रतिपूर्ति रही।

सरकार यह सुनिश्चित कर सकती है कि आकस्मिकता निधि से अग्रिम का उपयोग केवल उस खर्च को पूरा करने के लिए किया जाए जो आकस्मिक प्रकृति का हो तथा निधि से आहरित की गई राशि की प्रतिपूर्ति भी समय पर हो।

कोषागारों के निरीक्षण में भी उनकी कार्यप्रणाली में कमियाँ परिलक्षित हुईं। छः नियन्त्रण अधिकारियों ने अपने व्ययों को महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी), उत्तराखण्ड से मिलान नहीं किया। जिसके परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य सरकार की बजट प्रक्रिया में लेखाशीर्षों के वर्गीकरण में पाई गयी कमियों को दूर नहीं किया जा सका।

राज्य सरकार नियंत्रण अधिकारियों को अपने व्ययों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) से समयोचित/अवधिवार समाधान करने हेतु निर्देश जारी करने पर विचार कर सकती है।